रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33002/99 भारत सरकार REGD. No. D.L.-33002-99

GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 143] दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 10, 2014/कार्तिक 19, 1936 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 136

No. 143] DELHI, MONDAY, NOVEMBER 10, 2014/KARTIKA 19, 1936 [N.C.T.D. No. 136

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

पर्यावरण, वन एवं वन्यजीव विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 10 नवम्बर, 2014

फा. सं. 89/डब्ल्यू.एफ.डी./सी.ओ.टी/2013–14/5683-90.—जबकि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र सरकार जनहित में ऐसा करना आवश्यक समझती हैं,

अतः अब दिल्ली वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1994 (1994 का दिल्ली अधिनियम 11) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, डी.एम.आर.सी. द्वारा एम.आर.टी.एस. परियोजना फेस–3, द्वारका–नज़फगढ़ कॉरिडोर, दिल्ली तक निर्माण हेतु नीचे दिए गए विवरण के अनुसार 2.35 हैक्टेयर (लगभग) क्षेत्रफल से उक्त अधिनियम की धारा 9 की उप–धारा (3) के उपबंधों से इसके द्वारा छूट प्रदान करती है।

क्रम सं.	स्थान	क्षेत्र का विस्तार (हैक्ट.)	हटाए जाने वाले वृक्षों की संख्या	अपेक्षित प्रतिपूरक वृक्षारोपण (वृक्षों की संख्या)
1.	द्वारका – नज़फगढ़ कॉरिडोर, दिल्ली, एम.आर.टी.एस. परियोजना फेस – III,	2.35 (लगभग)	231	2310
		कुल योग	**231**	**2310**

यह छूट निम्नलिखित षर्तों के अधीन है।

(क) आवेदक को पाँच वर्ष की अवधि के लिए पौधों के संपूर्ण विकास एवं रखरखाव हेतु निम्नानुसार 74,38,200/–रुपये (चौहतर लाख अड़तीस हजार दौ सौ रुपये मात्र) की राशि अग्रिम रूप में जमा करवानी होगी।

परियोजना संख्या	लगाए जाने वाले पौधों की संख्या	अन्य प्रशासनिक व्ययों तथा आकस्मिक व्यय सहित कुल राशि	वन प्रभाग में जमा कराई जाए
1.	2310	74,38,200/–रुपये	उप–वन संरक्षक (पश्चिमी)/वन अधिकारी

(ख) वन विभाग द्वारा 100 प्रतिशत पेड़ों का उपलब्ध भूमि जोकि 5.608 (लगभग) हैक्टेयर, शास्त्री पार्क डिपो, उत्तरी वन विभाग में प्रतिपूरक वृक्षारोपण किया जाएगा तथा उनका पाँच वर्षों तक रखरखाव किया जाएगा सफलतापूर्वक स्थापना के बाद जाँच की जाएगी ।

(ग) उप–वन संरक्षक के परामर्श से वृक्षों को काटे जाने के पश्चात् प्राप्त लकड़ी डी.एम.आर.सी. द्वारा दिल्ली नगर निगम के संबंधित कर्मचारियों को सार्वजनिक शवदाहों में प्रयोग हेतु सौंपी जाए।

(घ) वृक्ष काटे जाने के स्थल से लकड़ी ले जाने से पूर्व उक्त लकड़ियों की ढुलाई के लिए वृक्ष अधिकारी (पश्चिमी) से ढुलाई अनुमति प्राप्त करनी होगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

संजीव कुमार, सचिव

DEPARTMENT OF ENVIRONMENT, FORESTS AND WILDLIFE

NOTIFICATION

Delhi, the 10th November, 2014

F. No. 89-WFD-COT-13-14/5683-90.—Whereas the Government of National Capital Territory of Delhi considers it necessary to do so in the public interest,

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 29 of the Delhi Preservation of Trees Act, 1994 (Delhi Act 11 of 1994), the Government of National Capital Territory of Delhi hereby exempts an area of total) 2.35 ha (approx) as detailed below for construction of Dwarka-Najafgarh Corridor of Delhi, MRTS Project Phase-III by DMRC, from the provision of Sub-section (3) of Section 9 of the said Act.

Sl. No.	Location	Extent of Area (ha.)	No. of trees required to be removed	Compensatory plantation required (No. of trees)
1.	Dwarka-Najafgarh Corridor of Delhi, MRTS Project Phase-III	2.35 ha (Approx)	231	2310
		Total	**231**	**2310**

The exemption is subject to fulfillment of the following conditions :

(a) The applicant shall make an advance deposit of an amount of Rs 74,38,200/- (Rupees Seventy Four Lakh Thirty Eight Thousand Two Hundred Only) for creation and maintenance of compensatory plantation for a period of 5 (five) years as follows:

Project No.	No. of Saplings to be Planted (No. of trees)	Total Amount including other Administrative expenses and contingency charges (in Rs.)	To be Deposited with Forest Division
1	2310	74,38,200/-	DCF (West)-Tree Officer

(b) The compensatory plantation will be raised and maintained for 5 (five) years i.e. 100% compensatory plantation will be done by the Forest Department at land available 5.608 ha. Approx. near Shastri Park Depot North Forests Division and to monitor it till its successful establishment.

(c) The wood obtained on removal of trees shall be handed over by the DMRC to the officials concerned of MCD for its use on public crematoria in Delhi in consultation with the territorial DCF.

(d) Before shifting of wood from site of removal of trees, transportation permission for transportation of the said wood shall be obtained from Tree Officer (West).

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,

SANJIV KUMAR, Secy.

वित्त (राजस्व–1) विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 10 नवम्बर, 2014

सं. एफ 3(14)/वित्त (क. एवं स्थाप.)-2013–14/डीएस VI-1045. —दिल्ली मूल्य सवंर्धित कर नियमावली, 2005 के नियम 47 अधिनियम के साथ पठित दिल्ली मूल्य सवंर्धित कर अधिनियम, 2004 (2005 का दिल्ली अधिनियम 3) की धारा 66 की उपधारा (2) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के उप–राज्यपाल, मूल्य संवर्धित कर आयुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार की उक्त अधिनियम के प्रषासन में सहायता करने के लिए निम्नलिखित अधिकारियों को पद ग्रहण की तिथि से नियुक्त करते हैं; अर्थात् :–

क्रम सं.	अधिकारी का नाम श्री/श्रीमती/कु.	कार्यभार को तिथि	पदनाम
1	देश राज सिंह	27.08.2014	मूल्य संवर्धित कर निरीक्षक
2	अंजलि त्यागी	27.08.2014	मूल्य संवर्धित कर निरीक्षक
3	रमेश कुमार	27.08.2014	मूल्य संवर्धित कर निरीक्षक
4	सुभाष चन्द शर्मा	27.08.2014	मूल्य संवर्धित कर निरीक्षक
5	प्रवीन सरीन	27.08.2014	मूल्य संवर्धित कर निरीक्षक
6	आर. एस. पठानिया	27.08.2014	मूल्य संवर्धित कर निरीक्षक
7	रजनी कुमारी	27.08.2014	मूल्य संवर्धित कर निरीक्षक

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उप–राज्यपाल
के नाम तथा उनके आदेशा पर,
रविन्द्र कुमार, उप सचिव-VI (वित्त)

FINANCE (REVENUE-I) DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 10th November, 2014

No. F. 3 (14)-Fin (T&E)-2009-10-DSVI-1045.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of section 66 of the Delhi Value Added Tax Act, 2004 (Delhi Act 3 of 2005), read with rule 47 of the Delhi Value Added Tax Rules, 2005, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to appoint the following officers, with effect from the date of assumption of charge to assist the Commissioner of Value Added Tax, Government of National Capital Territory of Delhi, in the administration of the said Act, namely :—

S. No.	Name of the Officer Sh./Smt./Ms.	Date of physical joining in D T and T	Appointed as
1	Desh Raj Singh	27-08-2014	Value Added Tax Inspector
2	Anjali Tyagi	27-08-2014	Value Added Tax Inspector
3.	Ramesh Kumar	27-08-2014	Value Added Tax Inspector
4.	Subhash Chand Sharma	27-08-2014	Value Added Tax Inspector
5	Parveen Sareen	27-08-2014	Value Added Tax Inspector
6	R. S. Pathania	27-08-2014	Value Added Tax Inspector
7	Rajni Kumari	27-08-2014	Value Added Tax Inspector

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,

RAVINDER KUMAR, Dy. Secy.-VI (Finance)

गृह पुलिस (II)/स्थापना विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 10 नवम्बर, 2014

सं. फा. 8/451/2014/गृह पुलिस–II/8879.–गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 20 मार्च, 1974 की अधिसूचना संख्या 11011/2/74–यूटीएल (आई) के साथ पठित दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 24 की उप–धारा (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दरिया गंज, नई दिल्ली में भारतीय दंड संहिता की धारा 302/120ख के अन्तर्गत प्राथमिकी संख्या 99/2004 के संबंध में वाद संचालन के लिये सक्षम अधिकार क्षेत्र के न्यायालय में श्री राजीव मोहन, एडवोकेट को विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त करते हैं। श्री राजीव मोहन, एडवोकेट को देय शुल्क निम्न प्रकार होगा:–

1.	प्रति उपस्थिति प्रभार	7500/–रुपये
2.	जुनियर शुल्क	1500/–रुपये
3.	कान्फ्रेंस/ड्रॉफ्टिंग शुल्क	1500/–रुपये

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

आर. के. आहुजा, उप–सचिव (गृह)

HOME (POLICE-II) DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 10th November, 2014

No. F. 08/451/2014/HP-II/8879.—In exercise of the powers conferred by sub-section (8) of section 24 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), read with the Government of India, Ministry of Home Affairs Notification No. 11011/2/74-UTL (i) dated the 20th March, 1974, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, is pleased to appoint Shri Rajiv Mohan, Advocte, as Special Public Prosecutor to conduct case FIR No. 99-2004 under section 302-120-B, P.S. Darya Ganj, New Delhi, in the Court of competent jurisdiction. Fee payable to Shri Rajiv Mohan, Advocate, shall be as under :—

1.	Charges per appearance	--	Rs. 7,500.00
2.	Junior Fee	--	Rs. 1,500.00
3.	Conference/drafting fee	--	Rs. 1,500.00

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,

R. K. AHUJA, Dy. Secy. (Home)

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.